

पत्रांक 5 / स.1-06 / 2009-297  
झारखण्ड सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक : श्री सुखदेव मुण्डा,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,  
कुलसचिव,  
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक : 13.03.2010

विषय : राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाड़ीह, धनबाद का सत्र 2009-10 के लिए अस्थायी नवसंबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विध्यक एन.सी.टी.ई. के पत्रांक 5784(1) दिनांक 03.03.2009 द्वारा दी गई मान्यता एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को पत्रांक - Estt/1788/09 दिनांक 16.09.09 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सरकार ने राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाड़ीह, धनबाद को NCTE के शर्तों के अधीन 100 छात्रों का नामांकन हेतु सत्र 2009-10 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थायी नवसंबंधन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है :-

- i. जिस भवन में यह प्रशिक्षण कार्य होगा, यह सिर्फ प्रशिक्षण कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
  - ii. यदि यह पाया गया कि भवन में बी.एड. प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।
  - iii. सत्र 2009-10 के छात्रों का परीक्षा आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित हो लेगा कि एन.सी.टी.ई. के अनुरूप 200 दिन शिक्षण दिवस (40 दिन शिक्षण अभ्यास सहित) पूरा हुआ है या नहीं।
  - iv. विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संबंधन से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि महाविद्यालय भूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करता है।
  - v. छात्रों के नामांकन में एन.सी.टी.ई., राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाय।
  - vi. शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
  - vii. महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पास बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।
2. एतद् संबंधी इस निदेशालय का पत्रांक-5 / स.1-3/2009-223 दिनांक 04.03.10 को रद्द समझा जाए।  
3. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

हो/-

(सुखदेव मुण्डा)

सरकार के अवर सचिव

### विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक : वि.भा.वि / आर / 583 / 2010

दिनांक : 11.5.10

प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य, राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाड़ीह, धनबाद के सूचनार्थ इस निर्देश के साथ कि सत्र 2009-10 के संबंधन के पत्र में झारखण्ड सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन कर प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के द्वारा जारी शपथ पत्र के माध्यम से पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर शर्त अनुपालन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। शिक्षकों की नियुक्ति एवं छात्र/छात्राओं के नामांकन में रोस्टर अनुपालन के संबंध में भी शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करें। शिक्षकों को दी गई वेतन से संबंधित ऐक स्टेटगेन्ट अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। समयावधि के अन्दर यदि सूचना अधोहस्ताक्षरी का उपलब्ध नहीं होगी तो बाध्य होकर संबंधन रद्द करने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
2. प्रभारी, स्थापना शाखा, वि.भा.वि, हजारीबाग।
3. सभी पदाधिकारी, वि.भा.वि।
4. निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव को कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

*Enacted*  
(इ. एन. सिहिकी) 11/05/10  
कुलसचिव

*द्वितीय  
पंचमी/११*

पत्रांक-५/स.१-०६/२००९-  
झारखण्ड सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सेवा में,

श्री सुखदेव मुण्डा,  
सरकार के अवर सचिव।

कुलसचिव,  
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

विषय:-

राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाडीह, का दात्र २००९-१०  
के लिए अस्थायी नवसंबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एन०सी०टी०इ० के पत्रांक-५७८४(i) दिनांक-३.०३.०९ द्वारा दी गई मान्यता एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग का पत्रांक-Estt/१७८८/०९ दिनांक-१६.०९.०९ द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सरकार ने राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाडीह को NCTE के शर्तों के अधीन १०० छात्रों का नामांकन हेतु सत्र २००९-१० हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थायी नवसंबंधन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की हैः-

- (i) जिस भवन में यह प्रशिक्षण कार्य होगा। यह सिर्फ प्रशिक्षण कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
- (ii) यदि यह पाया गया कि भवन में बी०एड० प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।
- (iii) सत्र २००९-१० के छात्रों का परीक्षा आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित हो लेगा कि एन०सी०टी०इ० के अनुरूप २०० दिन शिक्षण दिवस (४० दिन शिक्षण अभ्यास सहित) पूरा हुआ है या नहीं।
- (iv) विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संबंधन से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि महाविद्यालय भूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करता है।
- (v) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०इ०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाय।
- (vi) शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
- (vii) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।

2. एतद संबंधी इस निदेशालय का पत्रांक-५/स.१-३/२००९-२२३ दिनांक-४.०३.१० को रद्द समझा जाए।

3. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

४०/-

(सुखदेव मुण्डा)

सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक-१३/०३/२०१०

ज्ञापांक-५/स.१-०६/२००९-...../

प्रतिलिपि:- निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची/प्राचार्य, राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीगवाडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१३/०३/२०१०

(सुखदेव मुण्डा)

सरकार के अवर सचिव।

Udit Udit/My doc/New Affi./Under Sec.